



सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,

स्ववित्त पोषित बी०एड० राजकीय महाविद्यालय,

स्ववित्त पोषित निजी बी०एड० संस्थान,

"(सम्बन्ध) हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय)

विषय: बी० एड० पाठ्यक्रम सत्र 2015-17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि अग्रेत्तर उल्लिखित स्ववित्त पोषित बी०एड० महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों को वर्ष 2015-17 (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) की सम्बद्धता का विस्तारण विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 09/10/2015 तक किया जा चुका है। महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित बी०एड० की सीटों पर प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाना होगा, जो कि वर्ष 2015 की बी०एड० प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी कट ऑफ मैरिट के अन्तर्गत हो। स्ववित्त पोषित राजकीय महाविद्यालय/निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों को राज्य कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत बी०एड० कक्षा में प्रवेश हेतु अपने स्तर से ही समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा। विज्ञापन में प्रवेश के लिए एक निर्धारित तिथि निश्चित की जायेगी। विज्ञापन इस पत्र की तिथि के पश्चात् का होना आवश्यक है। जिसमें विज्ञापन की प्रति एवं प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी कट ऑफ मैरिट के अनुसार बी०एड० सेल को दिनांक 09/11/2015 तक उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बी०एड० कक्षा में प्रवेश प्रत्येक दशा में 05/11/2015 तक पूर्ण कर लिये जाय।

### प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेश मैरिट (अतिरिक्त अंकों सहित प्राप्तांकों की वरीयता) के आधार पर करने होंगे तथा पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर अवरोही क्रम (डिसेंडिंग आर्डर) में बनाकर अपने महाविद्यालय/संस्थान के सूचना पट पर चस्पा करनी होगी। जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा जारी कट ऑफ मैरिट के अन्तर्गत प्रवेश हेतु प्राप्तांकों (अतिरिक्त अंकों सहित) की वरीयता के आधार पर अवरोही क्रम (डिसेंडिंग आर्डर) में सूची तैयार की जायेगी, जिसमें उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एवं उपरोक्त सभी सूचनायें 09-11-2015 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है तभी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किये गये प्रवेश मान्य होंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा यदि कट ऑफ मैरिट के अन्तर्गत अंकों की वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है अथवा उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रवेश नहीं किये जाते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे किसी भी प्रवेश को अनुमोदित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा। आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को ही दिया जायेगा।

5. बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2015 में सम्मिलित कोई भी अभ्यर्थी अग्रेतर अंकित किसी भी स्ववित्त पोषित राजकीय महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित निजी बी.एड. संस्थानों में प्रवेश हेतु अपनी सुविधानुसार आवेदन कर सकता है, प्रवेश केवल कट ऑफ मैरिट के अन्तर्गत प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर होंगे।
6. एन.सी.टी.ई के मानकों के अनुसार निर्धारित शैक्षिक अंकों, अतिरिक्त अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की गहनता से जांच करने के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी त्रुटि हेतु महाविद्यालय/संस्थान उत्तरदायी होंगे।
7. बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं अथवा नहीं, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

स्ववित्त पोषित राजकीय महाविद्यालयों/निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क :-

क) अंश "अ" पर अंकित बी.एड स्ववित्त पोषित राजकीय महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों से वही शुल्क लिया जायेगा जो कि शासन द्वारा स्ववित्त पोषित बी०एड० राजकीय महाविद्यालयों हेतु रुपये 28,400=00 एवं रुपये 1000=00 दशानमनी निर्धारित किया गया है। यदि शासन से शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो बढ़ा हुआ शुल्क ही देय होगा।

ख) अंश "ब" पर अंकित निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों द्वारा वही शुल्क लिया जायेगा जो कि इस कार्यालय के पत्राक संख्या बी०एड० प्र०प०-13/867 दिनांक 19/09/2013 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 988 दिनांक 10/05/2013 एसोशियेशन ऑफ सेल्फहाइनेन्स बी०एड० इन्स्टीट्यूट बनाम हे०न०ब०गढ़वाल विश्वविद्यालय) में पारित आदेशों के अनुपालन में रुपये 42,000=00 (ब्यालिस हजार रुपये) राज्य कोटे की सीटों हेतु एवं रुपये 55,000=00 (पच्चपन हजार रुपये) प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों हेतु निर्धारित किया गया है। शुल्क बढ़ने की दशा में बढ़ा हुआ शुल्क ही लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार शुल्क देय होगा जो सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय में संचित किया जायेगा।

1. परीक्षा शुल्क रुपये- 2500=00 (दो हजार पाँच सौ रुपये) प्रति सेमेस्टर
2. पंजीकरण शुल्क रुपये- 500=00 (पाँच सौ रुपये)
3. सहायि शुल्क रुपये- 100=00 (एक सौ रुपये)
4. नामांकन शुल्क रुपये- 100=00 (एक सौ रुपये)

कुल योग 3200.00 ( रु तीन हजार दो सौ मात्र)

1/4tkk Nkknk bl fo'ofokky; esa iwoZ ls gh ukeakfdr gSa mUgSa ukekadu 'kq' d' rons dh vko';drk ugha gSA 1/2

अंश-(अ) बी०एड० स्ववित्त पोषित राजकीय महाविद्यालयों की सूची :-

1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर	50
2.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल	50
3.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार	50
4.	डी० एस०एन०एन० राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल	50
5.	राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी	50

अंश-(ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों की सूची :

संस्थानों के नाम	सीटों की सं०
डी०डी० इन्स्टीट्यूट ऑफ एड्वास स्टडीज 25, निम्बूवाला गढ़ी कैन्ट, देहरादून	100
द्रोणाचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, कैनाल वाईपास रोड,वार्ड नम्बर-4, बाबूगढ विकासनगर, देहरादून	100
मार्डन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, ढालवाला, ऋषिकेश जिला देहरादून	50

नवोदय कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, नियर बाला सुन्दरी मन्दिर, ग्राम व पोस्ट माण्डूवाला, देहरादून	100
डून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 9 माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे, श्यामपुर - ऋषिकेश	50
उत्तरांचल कालेज ऑफ एजुकेशन, सेवलाखुर्द, सहारनपुर रोड, देहरादून	100
पोस्टलवीड कालेज ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीकल पार्क ओकहिल एस्टेट मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून।	200
डॉ. लॉफिन (पी.जी.) इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल नेचुरल साइन्सेज, माण्डोवाला, नियर सुद्धोवाला, चकराता रोड देहरादून	100
राठ महाविद्यालय, पैठाणी, जिला पौड़ी गढ़वाल	200
मालिनी बैली कालेज ऑफ एजुकेशन, शिवराजपुर, मोटाढाक, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल	100
गुरुराम राय (पी0जी0) कालेज, देहरादून	50
उत्तरांचल कालेज ऑफ एजुकेशन, सुभारती पुरम, आमवाला रोड नन्दा की चौकी प्रेमनगर, देहरादून	100
एस0पी0मैमोरियल बी0एड0 कालेज, भवितथाना, श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल	200
शकुन्तला देवी इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ब्राहमण वाला चौक, हरिद्वार सहारनपुर, वाईपास रोड, देहरादून	100
सुसाना मैथोडिस्ट गर्ल्स बी0एड0 कालेज, सिविल लाइन, रुडकी जिला हरिद्वार	100
नालन्दा कालेज ऑफ एजुकेशन मियांवाला तिराहा, हरिद्वार रोड, देहरादून	100
पेट्रिशियन कालेज ऑफ एजुकेशन, सेन्ट जोसफ एकेडमी, 12 ए, राजपुर रोड, देहरादून	50
कालेज ऑफ एजुकेशन, हरिद्वार रोड, शान्तरशाह, पो0 दौलतपुर, रुडकी जिला हरिद्वार	100
सन्नाट पथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, रोहालकी किशनपुर, जिला हरिद्वार	100
विशम्बर सहाय बी0एड0 इन्स्टीट्यूट, 6 किमी0 स्टोन दिल्ली देहरादून रोड, रुडकी जिला हरिद्वार	100
बी0एस0एम0बी0एड0 कालेज, रुडकी जिला हरिद्वार	100
एम0एम0सर्गे0 बी0एड0 कालेज, नियर बी0एस0एन0एल0टावर, हरिद्वार रोड, लक्सर, जिला हरिद्वार	100
एडिटेड इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 1 माइलस्टोन, पुहाना इकबालपुर रोड, पुहाना रुडकी, जिला हरिद्वार	100
रामेश्वर एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ग्राम मलेथी, पो0 खैरासैण सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल	50
ओम्कारानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ओम्कारानन्द सरस्वती मार्ग, शिवानन्द, नगर, ऋषिकेश	50
दुर्गादेवी कालेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रेमनगर बाजार, डाईवाला देहरादून	100
दुर्गादेवी कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन 49, सुभाष रोड, देहरादून	100
श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम मझौन वाया पौधा देहरादून	100
विनायक डून एकेडमी भगवानपुर, गागलहेडी रोड, सिकन्दपुर, रुडकी जिला हरिद्वार	100

उपरोक्त महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु कट ऑफ मैरिट निम्नवत् है :-

राज्य/प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कटऑफ मैरिट

CATEGORY	ART		SCIENCE	
	Boys	Girls	Boys	Girls
General	187	176	215	199
Gen - Ex - S	123	123	---	---
Gen - PH	147	95	133	133
Gen - FF	139	133	154	141
S.C.	182	168	189	164
SC - Ex - S	162	---	---	---
SC - PH	172	123	167	114
SC - FF	---	148	---	128
S.T.	201	176	178	158
ST - Ex - S	---	---	---	---
ST - PH	136	---	---	---
ST - FF	---	---	---	---
O.B.C.	200	187	215	200
O-B-C- Ex - S	167	---	202	---
O-B-C PH	178	164	157	150
O-B-C FF	---	---	---	193

आपको यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त अंश "अ" एवं "ब" पर अंकित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों द्वारा प्रत्येक समूह एवं वर्ग में निम्न विवरणानुसार ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना है, इन्हीं आवंटित सीटों के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेन्टल) भी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशानुसार दिया जायेगा।

वर्ग- कुलसीट	सामान्य	एस०सी०	एस०टी०	ओ०बी०सी०
कला वर्ग- 30	19	6	01	4
विज्ञान वर्ग- 20	12	4	01	3

उपरोक्त आरक्षण उन महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों पर लागू होगा जिन्हें एन.सी.टी.ई. द्वारा 00 सीटें आवंटित की गई हैं)

वर्ग- कुलसीट	सामान्य	एस०सी०	एस०टी०	ओ०बी०सी०
कला वर्ग-60	38	12	02	08
विज्ञान वर्ग-40	25	07	02	06

(उपरोक्त आरक्षण उन महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों पर लागू होगा जिन्हें एन.सी.टी.ई.द्वारा 00 सीटें आवंटित की गई हैं)

भवदीय

(प्रो.डी.एस.नेगी)  
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. श्री संजीव श्रीवास्तव, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी।
5. संकायाध्यक्ष शिक्षा, एस०आर०टी० परिसर, बादशाहीथौल, नई टिहरी।
6. विभागाध्यक्ष शिक्षा, बिड़ला परिसर श्रीनगर।
7. परिसर निदेशक, पौड़ी/टिहरी के सूचनार्थ।
8. उपकुलसचिव परीक्षा।
9. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।

(प्रो.डी.एस.नेगी)  
विशेष कार्याधिकारी